6

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

(छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय)

शुद्धि पत्र

पटना, दिनांक 12.7 /2018

सं0सं0–3/खेल. 1–09/2017 1010/ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की अधिसूचना संख्या–846, दिनांक 04.08.2017 का कंडिका–04 (ख) एवं कंडिका–08 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

4. (ख) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार:– (दिव्यांग)

प्रतियोगिता का नाम (मानसिक/शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए)	स्वर्ण पदक/ प्रथम स्थान	रजत पदक/ द्वितीय स्थान	कास्य पदक/ तृतीय स्थान
1. पारालम्पिक गेम्स	1.0 करोड़	75 लाख	50 लाख
2. विश्व पारा चैम्पियनशिप/कप	75 लाख	50 लाख	30 लाख
3. पारा एशियन गेम्स	50 लाख	30 लाख	20 लाख
4. राष्ट्रमंडल गेम्स (दिव्यांग खिलाडी)	30 लाख	20 लाख	15 लाख
5. पारा राष्ट्रमंडल प्रतियोगिता/एशियन चैम्पियनशिप (सिनीयर)	20 लाख	15 लाख	10 लाख
6. दृष्टि बाधित खेल/डेफ ओलम्पिक/ स्पेशल ओलम्पिक अंतराष्ट्रीय खेल/मंदबुद्धि खिलाडी हेतु अंतराष्ट्रीय खेल।	15 लाख	10 लाख	05 लाख

8. खेल प्रशिक्षक प्रोत्साहन पुरस्कार :–

"प्रशिक्षकों की पात्रता एन0आई0एस0 डिप्लोमाधारी प्रशिक्षक/अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त/प्रतिनिधित्व करने वाले वरीय खिलाड़ी।

प्रशिक्षकों की पात्रता हेतु अंकित प्रावधानों के अतिरिक्त इसमें 04 वर्षों की उपलब्धि के आधार पर मूल्यांकन के पश्चात् ही विचार किया जाना एवं जिन प्रशिक्षकों को एक बार पुरस्कार किसी एक खेल विधा में मिल चुका है, उन्हें चार वर्षों के बाद ही पात्रता होने पर दूसरी बार पुरस्कार के लिए विचारणीय होगा।

इस योजना के अंतर्गत वैसे प्रशिक्षक, जिन्होंने आधिकारिक खेल प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है, उनके चार (04) वर्षों की प्रशिक्षण/प्रशिक्षुओं की उपलब्धि के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से ₹ 1,00,000/– (एक लाख रूपये) पुरस्कार, स्मृति चिन्ह एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।"

2. अधिसूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

ह0/–

(मीना कुमारी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक........................../ पटना, दिनांक......................../2018

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशानार्थ हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र के अगले अंक में इसे प्रकाशित कर इसकी 100 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 1010 / पटना, दिनांक 12.7 /2018

प्रतिलिपि:– मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार/महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/संयुक्त सचिव/उप सचिव/निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, शा0शि0/अधीक्षक, शा0शि0/जिला खेल पदाधिकारी/जिला अधीक्षक/उपाधीक्षक, शा0शि0/विभागीय आई.टी. मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/7/18

सरकार के उप सचिव।

puskar 329